मेगावाट के यूनिट-एक व यूनिट-दो को प्रारम्भ में क्रमशः वर्ष 1985-86 और 1986-87 मे चालू करने की परिकल्पना की गई थी।

मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड ने बायलर सप्लाई के लिए मैसर्स ए०बी०एल० तथा टर्बाइन के लिए मैसर्स भेल को आशय पत्र जारी किए है। मैसर्स ए०बी०एल० ने अक्तूबर, 1986 मे बायलर की सप्लाई रोक दी थी वित्तीय कठिनाइयों के कारण परिसमापन के किया था और इस प्रकार परियोजना के क्रियाकलाप वस्तुतः ठप्प हो गए थे। भूमि अधिग्रहण करने तथा विभिन्न **आनुसंगिक** उपस्कर के लिए आर्डर/सिविल कार्यो के लिए ठेकों को अंतिम रूप देने में विलम्ब होने जैसे घटकों से भी परियोजना क्रियान्वयन कार्यक्रम पर कुप्रभाव पडा है।

मैसर्स ए०बी०एल० के पुनरूत्थान के लिए भारत सरकार द्वारा की गई शुरूआत के परिणामस्वरूप कम्पनी **पुनः बायलर सप्लाइ करने के लिए सहमत हो गई है। मध्य** प्रदेश बिजली बोर्ड ने टर्बोजेनरेटर उपस्कर एवं आनुषंगिकों का निर्माण कार्य जारी रखने के लिए मैसर्स भेल को सलाह दी है। निर्माण कार्यक्रम एवं बायलर **और टर्बोजेनरेटर उपस्करों के डिस्पैच कार्यक्रम को** मद्देनज़र रखते हुए दोनों यूनिटों को अब 1991-92 मे चालू किए जाने की आशा है।

"ग्रोथ सेन्टर योजना" को लागू किये जाने के परिणामस्वरूप धीमा उद्योगीकरण

534. **श्री अजीत जोगी:**
श्री पृथ्वी माझी:

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि **जबसे "नो** इण्डस्ट्रीज डिस्ट्रिक्ट" योजना के साथ साथ "ग्रोथ सेन्टर योजना" सरकार द्वारा लागू की गयी है, तब से देश के सबसे पिछड़े "नो इंडस्ट्रीज" जिलों मे उद्योगों को लगाने की गति बहुत धीमी हो गई है और इसके परिणामस्वरूप, ऐसे जिलों का औद्योगिकरण लगभग रूक सा गया है,

(ख) यदि हा, तो सरकार द्वारा इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है;

(ग) "ग्रोथ सेन्टर योजना" के प्रारंभ होने के पश्चात, "नो इंडस्ट्रीज" जिलो मे उद्योग लगाने के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं और कितने लाइसेंस मंजूर किए गए हैं;

(घ) "ग्रोथ सेन्टर योजना" अन्तर्गत कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए है और कितने लाइसेंस मंजूर किए गए है; और

(ङ) क्या यह सच है कि "ग्रोथ सेन्टर योजना" का लाभ उन जिलो को नहीं मिल रही है जो अपेक्षाकृत सम्पन्न है?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) "उद्योग रहित जिलों" में उद्योगों की स्थापना करने के लिए वर्ष 1983 से 1988 के दौरान कुल 540 आशय पत्र तथा 142 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं। यदि औद्योगिक लाइसेंस संबंधी कोई बाधा नहीं है तो "उद्योग रहित" जिलो मे औद्योगिक [illegible] के लिए प्राप्त आवेदनों को कभी [illegible] है।

(घ) और (ङ) नई "विकास केन्द्र" याजना हाल ही में घोषित की गयी है तथा विकास केन्द्रों का पता लगाने हेतु राज्य सर [illegible] भेजने के लिए कहा गया है। अत इन विकास केन्द्रो मे परियोजनाएं स्थापित करने हेतु औद्योगिक लाइसेंसो का मामला अभी तक नही उठा है।

Production of Coal

535. SHRI MUKHTHAR SINGH MALIK: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) the estimated Statewise demand and consumption of coal in the country at present;

(b) estimated production of coal at present in the country;

(c) number of new coal mines which have been located in the country during the last one year;

(d) by when the production of coal in all the new mines is likely to be commenced; and

(e) the funds allocated for this purpose by Government?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF COAL IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI C.K. JAFFAR SHARIEF): (a) The estimates of coal demand are derived from the individual demand of various consuming sectors of the economy Statewise demand is not estimated. Actual supply of coal in various states in 1987-88, is given in the enclosed statement (*see*

(b) During the current year, 1988-89, coal production in the country is expected to be around 194 million tonnes.

(c) and (d) Fifty eight coal mining projects were sanctioned during 1987-88. These projects have total production capacity of 28 million tonnes and estimated cost of Rs. 1540 crores. Coal production in these projects will commence during the eighth plan period.

(e) During 1987-88 total plan outlay for Coal India Ltd., was Rs. 1026 crores and for Singareni Collieries Co. the outlay was Rs. 125 crores.

Statement

Statewise supply of coal during 1987-88

(million tonnes)

States	Supply/Receipt 1987-88
1	2
Andhra Pradesh	12.46
Assam	0.77
West Bengal	14.11
Bihar	22.94
Gujarat	12.05
J&K	0.23
Maharashtra	17.17
Madhya Pradesh	20.54
Tamil Nadu	7.45
Karnataka	3.35
Orissa	6.25
Punjab	4.58
Haryana	2.98
Uttar Pradesh	21.41
Rajasthan	2.82
Delhi	4.59
Himachal Pradesh	0.09
Kerala and others	0.67
Total	154.46

Contractors in the Central Coalfields Limited

536. SHRI ASHWANI KUMAR: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) what are the details of the different works which have been earmarked to be done by the contractors in different mines of Central Coalfields Limited.

(b) what are the details of the contractors, indicating their names and addresses doing different jobs in such mines and total amount paid to them during the last three years;

(c) whether it is a fact that the jobs were to be completed by the permanent departmental labourers; if so, what are the reasons for awarding the work to these contractors; and

(d) what are the details of the amount yet to be paid to them?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF COAL IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI C.K. JAFFAR SHARIEF): (a) and (c) There is no system of ear-marking of work for being done exclusively by contractors, excepting major civil works. Contracting of work depends on the nature and duration of the work. Contracting is generally resorted to for works which are beyond the normal human or technical resources of the coal companies or which are non-perennial in nature. In exceptional cases, contracting is sometimes resorted to in view of the urgency of the works meant